

कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ

संख्या.....

दिनांक.....

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी/समन्वयक,
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
3. वित्त अधिकारी
4. परीक्षा नियंत्रक
5. निदेशक, आई०क्यू०ए०सी०
6. निदेशक, रैंकिंग सेल
7. अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष, टैगोर पुस्तकालय
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

महोदय/महोदया,

कृपया संलग्न उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-893/सत्तर-3-2026-1959339 दिनांक 09.09.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय में प्रवेश, शिक्षण कार्य, परीक्षाओं एवं परीक्षा परिणामों को शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराने तथा UP-PRAMAN एवं विश्वविद्यालयों हेतु निर्धारित KPI के माध्यम से गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु जोनल अधिकारी नामित किये गये हैं तत्कम में जोनल अधिकारी नामित द्वारा मांगी गयी सूचना/अभिलेख समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराना तथा निरीक्षण/समीक्षा में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः उपरोक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जोनल अधिकारी द्वारा मांगी गयी सूचना/अभिलेख समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराना तथा निरीक्षण/समीक्षा में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने करने का कष्ट करें।

भवदीय,
Digitally signed by
BHAWANA MISHRA
Date: 05-10-2026
15:28:19

(डॉ० भावना मिश्रा)
कुलसचिव

9A-19051-50

संख्या-..... दिनांक-06/10/26

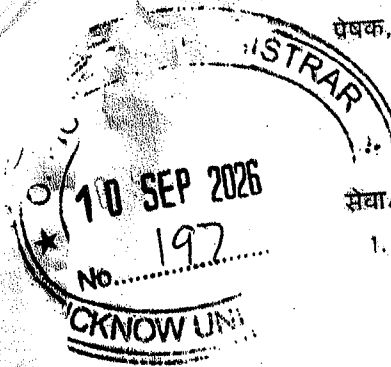
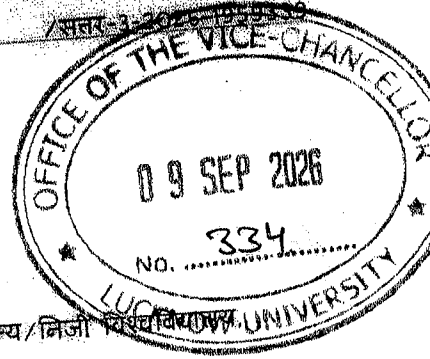
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति को मा० कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. समस्त उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, ल०वि०।
3. समस्त कार्यालय अधीक्षक, ल०वि०।
4. ☒ इंचार्ज, वेबसाइट को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समस्त को ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
5. कार्यालय प्रति।

(०६)
कुलसचिव

संख्या- ६९३

/सतर-३-२०२६-१९५९३३९



प्रेषक,

राम जन्म चौहान,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा/में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ०प्र०, प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ०प्र०।

लखनऊ, दिनांक ०९ सितम्बर, 2026

उच्च शिक्षा अनुभाग-३

विषय: प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, शिक्षण कार्य, परीक्षाओं एवं परीक्षा परिणामों को शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराने तथा UP-PRAMAN एवं विश्वविद्यालयों हेतु निर्धारित KPI के माध्यम से गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु जोनल नोडल अधिकारियों की तैनाती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासनादेश संख्या-३३७/सतर-३-२०२६-१९५९३३९, दिनांक ०१ अप्रैल, 2026, जिसके द्वारा प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मानकों, शैक्षणिक गुणवत्ता तथा विभिन्न गुणवत्ता संकेतकों के नियमित अनुश्रवण हेतु UP-PRAMAN (Performance, Ranking, Evaluation and Monitoring of UP Higher Education Academic Network) पोर्टल लागू किया गया है तथा शासनादेश संख्या-१९०५/सतर-१-२०२५, दिनांक ०६ नवम्बर, 2025, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली के नियमित अनुश्रवण हेतु KPI (Key Performance Indicators) आधारित Dashboard समीक्षा व्यवस्था लागू की गयी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

*Chairman, Admission
Registrar/COE*

(1) प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया, नियमित शिक्षण, शैक्षणिक कैलेंडर, परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की समयबद्धता, छात्र एवं शिक्षक उपस्थिति तथा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित किये जाने हेतु शासन स्तर से अनुश्रवण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(2) उक्त के दृष्टिगत प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रशासनिक एवं भौगोलिक सुविधा की दृष्टि से निम्नवत चार जोनों में विभाजित करते हुए प्रत्येक जोन हेतु विशेष सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को जोनल नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जो कि निम्नवत हैं :-

जोन	जोनल नोडल अधिकारी	आयोजित मंडल
जोन-१	श्रीमती निशि श्रीवास्तव, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, गोरखपुर एवं बस्ती
जोन-२	श्री बी.एन. सिंह, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ एवं सहारनपुर
जोन-३	श्री सर्वेश कुमार सिंह, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	वाराणसी, मीरजापुर, प्रयागराज एवं चित्रकूट

OS(GA)

for Reg
10-9-26

जोन	जोनल नोडल अधिकारी	आयुटित मंडल
जोन-4	श्री शकील अहमद सिद्दीकी, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	कानपुर, झांसी, आगरा एवं आजमगढ़

उपरोक्त मंडलों में स्थित राज्य विश्वविद्यालयों तथा राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्वचलित/प्रोप्रीत महाविद्यालयों सहित समस्त उच्च शिक्षण संस्थान संबंधित जोन के अंतर्गत माने जाएंगे। किसी महाविद्यालय के जोन निर्धारण का आधार उसके भौतिक रूप से अवस्थित जनपद/मंडल को माना जाएगा।

2- जोनल नोडल अधिकारियों के मुख्य दायित्व

जोनल नोडल अधिकारी अपने-अपने जोन के उच्च शिक्षण संस्थानों का निरंतर अनुश्रवण करते हुए विशेष रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे :-

(1) शैक्षणिक कैलेंडर का अनुपालन :

यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक कैलेंडर तैयार कर वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया हो तथा उसी के अनुसार प्रवेश, कक्षाओं का संचालन, पाठ्यक्रम पूर्णता, आंतरिक मूल्यांकन, प्रायोगिक परीक्षाएं, सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षाएं, मूल्यांकन तथा परीक्षा परिणाम समयबद्ध रूप से सम्पन्न हों।

(2) प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी :

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रवेश निर्धारित समय-सारिणी, शासनादेशों, विश्वविद्यालय नियमों तथा उपलब्ध स्वीकृत सीटों के अनुरूप पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से सम्पन्न हों। रिक्त सीटों तथा अत्यल्प प्रवेश वाले पाठ्यक्रमों की भी समीक्षा की जाए।

(3) नियमित शिक्षण कार्य :

शिक्षण संस्थानों में निर्धारित टाइम-टेबल के अनुसार कक्षाओं का वास्तविक संचालन, पाठ्यक्रम की समयबद्ध पूर्णता, प्रायोगिक शिक्षण, डिजिटल शिक्षण एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त/रिमेडियल कक्षाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(4) छात्र एवं शिक्षक उपस्थिति :

छात्रों तथा शिक्षकों की नियमित उपस्थिति की समीक्षा की जाए। बायोमेट्रिक/अन्य अनुमत्य माध्यमों से उपलब्ध उपस्थिति अभिलेखों का आकस्मिक निरीक्षण के समय भौतिक सत्यापन किया जाए तथा अत्यल्प उपस्थिति वाले संस्थानों के संबंध में कारण एवं सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(5) परीक्षा एवं परिणाम :

परीक्षाएं निर्धारित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आयोजित हों तथा मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम घोषित करने में अनावश्यक विलम्ब न हो। परीक्षा एवं परिणाम से संबंधित संबंधित प्रकरणों की विश्वविद्यालयवार समीक्षा करते हुए समयबद्ध निस्तारण कराया जाए।

(6) जोनल नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जोन के सभी उच्च शिक्षण संस्थान UP-PRAMAN पोर्टल पर निर्धारित 43 मुख्य संकेतकों तथा उनसे संबंधित उप-संकेतकों के संबंध में अद्यतन एवं सत्यापित सूचना नियमित रूप से उपलब्ध कराएं।

विशेष रूप से निम्न क्षेत्रों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए :-

- छात्र उपस्थिति एवं शैक्षणिक सहभागिता, शैक्षणिक कैलेंडर एवं विभागीय शैक्षणिक कैलेंडर का अनुपालन, नियमित टाइम-टेबल एवं शिक्षण कार्य, NAAC Accreditation एवं IQAC की कार्यशीलता, NIRF में सहभागिता एवं संस्थानों की रैंकिंग, शोध प्रकाशन, Citation, H-Index, I-10 Index एवं शोध परियोजनाएं, Institutional Innovation Council तथा Innovation/Start-up गतिविधियां, SWAYAM, E-content, LMS, Google Classroom एवं अन्य डिजिटल शिक्षण व्यवस्था, Curriculum Review एवं उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम सुधार, Industry Collaboration, MoU, Internship एवं Placement, Institutional Development Plan, Feedback एवं Action Taken Mechanism, Mentor-Mentee व्यवस्था, APAAR/ABC/Credit Transfer, छात्रवृत्ति एवं छात्र सहायता तथा अन्य सभी UP-PRAMAN संकेतकों की वास्तविक प्रगति।

जोनल नोडल अधिकारी उपलब्ध कराए गए डेटा एवं अभिलेखों का आवश्यकता के अनुसार भौतिक सत्यापन भी सुनिश्चित करेंगे।

(7) उक्त के अतिरिक्त, जोनल नोडल अधिकारी अपने-अपने जोन में स्थित समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक एवं संस्थागत गतिविधियों का अनुश्रवण शासनादेश संख्या 1905/सतर-1-2025, दिनांक 06 नवम्बर, 2025 के साथ संलग्न 26 KPI (Key Performance Indicators) में निर्धारित बिंदुओं के आधार पर भी करेंगे तथा प्रत्येक विश्वविद्यालय की प्रगति के संबंध में अपनी मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

उक्त KPI आधारित अनुश्रवण में विशेष रूप से निम्नलिखित छह प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत निर्धारित संकेतकों की समीक्षा की जाएगी :-

Student Outcomes and Academic Delivery, Digital Identity, ABC & Credentials, Research, Innovation and Industry Linkage, Quality and Accreditation, Governance, Compliance and Service Delivery, Finance, People and Operations

जोनल नोडल अधिकारी आवश्यकता के अनुसार विश्वविद्यालय भ्रमण/आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उपलब्ध अभिलेखों एवं वास्तविक स्थिति से उनका सत्यापन करेंगे।

नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय के संबंध में KPI आधारित रिपोर्ट में जहां संभव हो Target, Achievement, Percentage Achievement, RAG Status (Red/Amber/Green), पिछली समीक्षा की स्थिति तथा वर्तमान सुधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

जिन KPI पर किसी विश्वविद्यालय का प्रदर्शन लगातार निम्न स्तर पर हो अथवा Red/Amber Category में हो, उनमें कारणों का परीक्षण कर विश्वविद्यालय से समयबद्ध Corrective Action Plan/Improvement Plan प्राप्त किया जाएगा तथा आगामी समीक्षा में उसके अनुपालन की स्थिति का परीक्षण किया जाएगा।

इस प्रकार जोनल नोडल अधिकारी अपनी मासिक विश्वविद्यालयवार रिपोर्ट में UP-PRAMAN आधारित संस्थागत गुणवत्ता के साथ-साथ उक्त 26 KPI के आधार पर विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों एवं समय कार्यप्रणाली का पृथक एवं स्पष्ट आकलन भी प्रस्तुत करेंगे।

(8) प्रत्येक जोनल नोडल अधिकारी अपने जोन में यह सुनिश्चित करेंगे कि :-

1. सभी पात्र विश्वविद्यालय/महाविद्यालय UP-PRAMAN पोर्टल पर सक्रिय हों।
2. निर्धारित संकेतकों के अंतर्गत अद्यतन सूचना एवं प्रमाण नियमित रूप से अपलोड किये जाएं।
3. अपलोड की गई सूचना का सक्षम स्तर से सत्यापन समयबद्ध रूप से हो।
4. पोर्टल पर अत्यल्प स्कोर, लगातार गिरावट अथवा असामान्य डेटा प्रदर्शित करने वाले संस्थानों की पृथक सूची तैयार की जाए।
5. कमजोर प्रदर्शन वाले संस्थानों हेतु स्पष्ट Improvement Plan तैयार कराया जाए।
6. पिछली समीक्षा में दिए गए निर्देशों की अनुपालन स्थिति अगली समीक्षा में अनिवार्य रूप से देखी जाए।

(9) जोनल नोडल अधिकारी अपने-अपने जोन के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का नियमित क्षेत्र भ्रमण तथा आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।

निरीक्षण हेतु प्राथमिकता निम्न प्रकार के संस्थानों को दी जाएगी :-

- जिनमें प्रवेश, परीक्षा अथवा परिणाम निर्धारित समय से विलम्बित हों;
- जिनमें शैक्षणिक कैलेंडर का अनुपालन संतोषजनक न हो;
- जहां छात्र/शिक्षक उपस्थिति अत्यल्प हो;
- जिनका UP-PRAMAN स्कोर लगातार कम अथवा गिरावट पर हो;
- जिन विश्वविद्यालयों का KPI Dashboard पर प्रदर्शन लगातार Red/Amber Category में हो;
- जिन संस्थानों में पोर्टल/Dashboard की सूचना एवं वास्तविक स्थिति में अंतर पाया जाए;
- NAAC/NIRF/शोध/प्लेसमेंट आदि गुणवत्ता मानकों पर कमजोर प्रदर्शन वाले संस्थान; तथा
- शासन अथवा निदेशालय स्तर पर प्राप्त शिकायतों/प्रतिकूल सूचनाओं वाले संस्थान।

आकस्मिक निरीक्षण में कक्षाओं का वास्तविक संचालन, छात्र एवं शिक्षक उपस्थिति, टाइम-टेबल, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, डिजिटल संसाधन, परीक्षा संबंधी व्यवस्थाएं तथा UP-PRAMAN/KPI Dashboard पर उपलब्ध कराए गए अभिलेखों एवं आंकड़ों का मौके पर सत्यापन किया जाएगा।

(10) प्रत्येक निरीक्षण के उपरांत पायी गयी कमियों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को समयबद्ध सुधार हेतु निर्देशित किया जाए। गंभीर अथवा बार-बार पायी जाने वाली कमियों के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने हेतु प्रकरण तत्काल सचिव, उच्च शिक्षा के संज्ञान में लाया जाए। प्रत्येक महत्वपूर्ण कमी के संबंध में Action Taken Report (ATR) प्राप्त कर उसके वास्तविक अनुपालन का भी सत्यापन किया जाएगा।

(11) प्रत्येक जोनल नोडल अधिकारी अपने जोन की विश्वविद्यालयवार मासिक रिपोर्ट तैयार कर अगले माह के प्रथम सप्ताह में सचिव, उच्च शिक्षा को उपलब्ध कराएंगे, जिसे सचिव, उच्च शिक्षा के माध्यम से मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

मासिक रिपोर्ट में न्यूनतम निम्न सूचना सम्मिलित होगी :-

1. विश्वविद्यालय/महाविद्यालयवार शैक्षणिक कैलेंडर की अनुपालन स्थिति;
2. प्रदेश की स्थिति एवं रिक्त सीटें;
3. शिक्षण कार्य एवं पाठ्यक्रम पूर्णता की स्थिति;
4. छात्र एवं शिक्षक उपस्थिति;
5. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम की स्थिति;
6. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का UP-PRAMAN प्रदर्शन एवं गत माह की तुलना में परिवर्तन;
7. विश्वविद्यालयों के 25 KPI आधारित Dashboard Performance, विशेषकर शैक्षणिक गतिविधियों एवं Student Outcomes की स्थिति;
8. कमजोर प्रदर्शन वाले संस्थानों/विश्वविद्यालयों की सूची एवं कारण;
9. माह में किए गए क्षेत्र भ्रमण/आकस्मिक निरीक्षण;
10. निरीक्षण में पायी गयी प्रमुख कमियां;
11. जारी किए गए निर्देश एवं उनकी Action Taken Report;
12. NAAC/NIRE/IQAC/Research/Innovation/Internship/Placement आदि महत्वपूर्ण गुणवत्ता संकेतकों की स्थिति;
13. KPI में Red/Amber Category वाले विदुओं पर सुधारात्मक कार्यवाही की स्थिति; तथा
14. ऐसे प्रकरण जिनमें शासन स्तर से हस्तक्षेप/निर्णय अपेक्षित हो।

प्रत्येक मासिक रिपोर्ट में "पिछले माह की स्थिति - वर्तमान स्थिति - की गयी कार्यवाही - प्राप्त सुधार - अपेक्षित अगली कार्यवाही" स्पष्ट रूप से अंकित की जाएगी, ताकि विश्वविद्यालय/संस्थान में वास्तविक सुधार की प्रगति को मापा जा सके।

(12) जोनल नोडल अधिकारी अपने कार्य के निर्वहन में निदेशक, उच्च शिक्षा, संबंधित कुलसचिव, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों से आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे।

(13) जोनल नोडल अधिकारी ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों पर विशेष ध्यान देंगे जिनमें लगातार दो या अधिक समीक्षा अवधियों में अपेक्षित सुधार नहीं पाया जाता है अथवा जिनका UP-PRAMAN/KPI प्रदर्शन निरंतर कमजोर रहता है।

ऐसे संस्थानों/विश्वविद्यालयों के लिए संस्थानवार Corrective Action Plan/Improvement Plan तैयार कराया जाएगा तथा अगली समीक्षा में उसके परिणामों का परीक्षण किया जाएगा।

अत्यंत गंभीर अनियमितता, परीक्षा/प्रवेश संबंधी अव्यवस्था, शिक्षण कार्य का न होना, पोर्टल/Dashboard पर गलत सूचना अथवा अन्य गंभीर प्रशासनिक/शैक्षणिक कमी पाए जाने की स्थिति में जोनल नोडल अधिकारी मासिक रिपोर्ट की प्रतीक्षा किये बिना प्रकरण तत्काल सचिव, उच्च शिक्षा के संज्ञान में लाएंगे।

(14) सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा जोनल नोडल अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर प्रत्येक माह विभागीय समीक्षा की जाएगी। समीक्षा में विशेष रूप से निम्न विदुओं पर ध्यान दिया जाएगा :-

- प्रदेश में शैक्षणिक कैलेंडर के अनुपालन की समग्र स्थिति;
- परीक्षा एवं परिणामों में विलम्ब;

- UP-PRAMAN पर उत्कृष्ट एवं कमजोर प्रदर्शन वाले संस्थान;
- विश्वविद्यालयों के 26 KPI आधारित प्रदर्शन एवं RAG Status;
- निरीक्षण में पायी गयी गंभीर कमियां;
- पिछले माह के निर्देशों पर Action Taken Report;
- संस्थानों में गुणवत्तापरक सुधार की वास्तविक प्रगति।

उक्त समीक्षा का संक्षिप्त प्रतिवेदन मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त दिये गये निर्देशों के क्रम में अग्रतर कार्यवाही करते हुए संबंधित कुलसचिव, प्राचार्य, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी तथा अन्य अधिकारी जोनल नॉडल अधिकारी द्वारा मांगी गयी सूचना/अभिलेख समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराना तथा निरीक्षण/समीक्षा में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

Digitally signed by

RAM JANAM CHAUHAN (राम जन्म चौहान)

Date: 08-09-2026 17:11:24 उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त कुलपति, राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, मा० मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
5. श्रीमती निधि श्रीवास्तव, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
6. श्री बी.एन. सिंह, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
7. श्री सर्वेश कुमार सिंह, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
8. श्री शकील अहमद सिद्दीकी, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. अपर सचिव, 30प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ।
12. संबंधित अनुभाग/गाई फाइल।

आज्ञा से,

(राम जन्म चौहान)

उप सचिव।

प्रेषक,

राम जन्म चौहान,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

R-624
9/9/26

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ०प्र०. प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ०प्र०।

लखनऊ: दिनांक 09 सितम्बर, 2026

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

विषय: प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, शिक्षण कार्य, परीक्षाओं एवं परीक्षा परिणामों को शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराने तथा UP-PRAMAN एवं विश्वविद्यालयों हेतु निर्धारित KPI के माध्यम से गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु जोनल नोडल अधिकारियों की तैनाती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासनादेश संख्या-337/सतर-3-2026-1959339, दिनांक 01 अप्रैल, 2026, जिसके द्वारा प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मानकों, शैक्षणिक गुणवत्ता तथा विभिन्न गुणवत्ता संकेतकों के नियमित अनुश्रवण हेतु UP-PRAMAN (Performance Ranking, Evaluation and Monitoring of UP Higher Education Academic Network) पोर्टल लागू किया गया है तथा शासनादेश संख्या-1905/सतर-1-2025, दिनांक 06 नवम्बर, 2025, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली के नियमित अनुश्रवण हेतु KPI (Key Performance Indicators) आधारित Dashboard समीक्षा व्यवस्था लागू की गयी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

(1) प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया, नियमित शिक्षण, शैक्षणिक कैलेंडर, परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की समयबद्धता, छात्र एवं शिक्षक उपस्थिति तथा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित किये जाने हेतु शासन स्तर से अनुश्रवण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(2) उक्त के दृष्टिगत प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रशासनिक एवं भौगोलिक सुविधा की दृष्टि से निम्नवत चार जोनों में विभाजित करते हुए प्रत्येक जोन हेतु विशेष सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को जोनल नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जो कि निम्नवत हैं :-

जोन	जोनल नोडल अधिकारी	आवृत्ति मंडल
जोन-1	श्रीमती निधि श्रीवास्तव, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, गोरखपुर एवं बस्ती
जोन-2	श्री बी.एन. सिंह, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ एवं सहारनपुर
जोन-3	श्री सर्वेश कुमार सिंह, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	वाराणसी, मीरजापुर, प्रयागराज एवं चित्रकूट

COESIV
Rmish
09/09/2026

09/09/2026
D.R.(G.A.)
Rmish
09/09/2026

U. Dean/HOD

जोन	जोनल नोडल अधिकारी	आवटित मंडल
जोन-4	श्री शकील अहमद सिद्दीकी, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	कानपुर, झांसी, आगरा एवं आजमगढ़

उपरोक्त मंडलों में स्थित राज्य विश्वविद्यालयों तथा राजकीय, अशासकीय सहायताप्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों सहित समस्त उच्च शिक्षण संस्थान संबंधित जोन के अंतर्गत माने जाएंगे। किसी महाविद्यालय के जोन निर्धारण का आधार उसके भौतिक रूप से अवस्थित जनपद/मंडल को माना जाएगा।

2- जोनल नोडल अधिकारियों के मुख्य दायित्व

जोनल नोडल अधिकारी अपने-अपने जोन के उच्च शिक्षण संस्थानों का निरंतर अनुश्रवण करते हुए विशेष रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे :-

(1) शैक्षणिक कैलेंडर का अनुपालन :

यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक कैलेंडर तैयार कर वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया हो तथा उसी के अनुसार प्रवेश, कक्षाओं का संचालन, पाठ्यक्रम पूर्णता, आंतरिक मूल्यांकन, प्रायोगिक परीक्षाएं, सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षाएं, मूल्यांकन तथा परीक्षा परिणाम समयबद्ध रूप से सम्पन्न हों।

(2) प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी :

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रवेश निर्धारित समय-सारिणी, शासनादेशों, विश्वविद्यालय नियमों तथा उपलब्ध स्वीकृत सीटों के अनुरूप पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से सम्पन्न हों। रिक्त सीटों तथा अत्यल्प प्रवेश वाले पाठ्यक्रमों की भी समीक्षा की जाए।

(3) नियमित शिक्षण कार्य :

शिक्षण संस्थानों में निर्धारित टाइम-टेबल के अनुसार कक्षाओं का वास्तविक संचालन, पाठ्यक्रम की समयबद्ध पूर्णता, प्रायोगिक शिक्षण, डिजिटल शिक्षण एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त/रिमेडियल कक्षाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(4) छात्र एवं शिक्षक उपस्थिति :

छात्रों तथा शिक्षकों की नियमित उपस्थिति की समीक्षा की जाए। बायोमेट्रिक/अन्य अनुमत्य माध्यमों से उपलब्ध उपस्थिति अभिलेखों का आकस्मिक निरीक्षण के समय भौतिक सत्यापन किया जाए तथा अत्यल्प उपस्थिति वाले संस्थानों के संबंध में कारण एवं सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(5) परीक्षा एवं परिणाम :

परीक्षाएं निर्धारित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आयोजित हों तथा मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम घोषित करने में अनावश्यक विलम्ब न हो। परीक्षा एवं परिणाम से संबंधित संबंधित प्रकरणों की विश्वविद्यालयवार समीक्षा करते हुए समयबद्ध निस्तारण कराया जाए।

(6) जोनल नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जोन के सभी उच्च शिक्षण संस्थान UP-PRAMAN पोर्टल पर निर्धारित 43 मुख्य संकेतकों तथा उनसे संबंधित उप-संकेतकों के संबंध में अद्यतन एवं सत्यापित सूचना नियमित रूप से उपलब्ध कराएं।

विशेष रूप से निम्न क्षेत्रों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए :-

- छात्र उपस्थिति एवं शैक्षणिक सहभागिता, शैक्षणिक कैलेंडर एवं विभागीय शैक्षणिक कैलेंडर का अनुपालन, नियमित टाइम-टेबल एवं शिक्षण कार्य, NAAC Accreditation एवं IQAC की कार्यशीलता, NIRF में सहभागिता एवं संस्थानों की रैंकिंग, शोध प्रकाशन, Citation, H-Index, I-IO Index एवं शोध परियोजनाएं, Institutional Innovation Council तथा Innovation/Start-up गतिविधियां, SWAYAM, E-content, LMS, Google Classroom एवं अन्य डिजिटल शिक्षण व्यवस्था, Curriculum Review एवं उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम सुधार, Industry Collaboration, MoU, Internship एवं Placement, Institutional Development Plan, Feedback एवं Action Taken Mechanism, Mentor-Mentee व्यवस्था, APAAR/ABC/Credit Transfer, छात्रवृत्ति एवं छात्र सहायता तथा अन्य सभी UP-PRAMAN संकेतकों की वास्तविक प्रगति।

जोनल नोडल अधिकारी उपलब्ध कराए गए डेटा एवं अभिलेखों का आवश्यकता के अनुसार भौतिक सत्यापन भी सुनिश्चित करेंगे।

(7) उक्त के अतिरिक्त, जोनल नोडल अधिकारी अपने-अपने जोन में स्थित समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक एवं संस्थागत गतिविधियों का अनुश्रवण शासनादेश संख्या 1905/सत्तर-1-2025, दिनांक 06 नवम्बर, 2025 के साथ संलग्न 26 KPI (Key Performance Indicators) में निर्धारित बिंदुओं के आधार पर भी करेंगे तथा प्रत्येक विश्वविद्यालय की प्रगति के संबंध में अपनी मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

उक्त KPI आधारित अनुश्रवण में विशेष रूप से निम्नलिखित छह प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत निर्धारित संकेतकों की समीक्षा की जाएगी :-

Student Outcomes and Academic Delivery, Digital Identity, ABC & Credentials, Research, Innovation and Industry Linkage, Quality and Accreditation, Governance, Compliance and Service Delivery, Finance, People and Operations

जोनल नोडल अधिकारी आवश्यकता के अनुसार विश्वविद्यालय भ्रमण/आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उपलब्ध अभिलेखों एवं वास्तविक स्थिति से उनका सत्यापन करेंगे।

नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय के संबंध में KPI आधारित रिपोर्ट में जहां संभव हो Target, Achievement, Percentage Achievement, RAG Status (Red/Amber/Green), पिछली समीक्षा की स्थिति तथा वर्तमान सुधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

जिन KPI पर किसी विश्वविद्यालय का प्रदर्शन लगातार निम्न स्तर पर हो अथवा Red/Amber Category में हो, उनमें कारणों का परीक्षण कर विश्वविद्यालय से समयबद्ध Corrective Action Plan/Improvement Plan प्राप्त किया जाएगा तथा आगामी समीक्षा में उसके अनुपालन की स्थिति का परीक्षण किया जाएगा।

इस प्रकार जोनल नोडल अधिकारी अपनी मासिक विश्वविद्यालयवार रिपोर्ट में UP-PRAMAN आधारित संस्थागत गुणवत्ता के साथ-साथ उक्त 26 KPI के आधार पर विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों एवं समग्र कार्यप्रणाली का पृथक एवं स्पष्ट आकलन भी प्रस्तुत करेंगे।

(8) प्रत्येक जोनल नोडल अधिकारी अपने जोन में यह सुनिश्चित करेंगे कि :-

1. सभी पात्र विश्वविद्यालय/महाविद्यालय UP-PRAMAN पोर्टल पर सक्रिय हों।
2. निर्धारित संकेतकों के अंतर्गत अद्यतन सूचना एवं प्रमाण नियमित रूप से अपलोड किये जाएं।
3. अपलोड की गई सूचना का संक्षम स्तर से सत्यापन समयबद्ध रूप से हो।
4. पोर्टल पर अत्यल्प स्कोर, लगातार गिरावट अथवा असामान्य डेटा प्रदर्शित करने वाले संस्थानों की पृथक सूची तैयार की जाए।
5. कमजोर प्रदर्शन वाले संस्थानों हेतु स्पष्ट Improvement Plan तैयार कराया जाए।
6. पिछली समीक्षा में दिए गए निर्देशों की अनुपालन स्थिति अगली समीक्षा में अनिवार्य रूप से देखी जाए।

(9) जोनल नोडल अधिकारी अपने-अपने जोन के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का नियमित क्षेत्र भ्रमण तथा आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।

निरीक्षण हेतु प्राथमिकता निम्न प्रकार के संस्थानों को दी जाएगी :-

- जिनमें प्रवेश, परीक्षा अथवा परिणाम निर्धारित समय से विलम्बित हों;
- जिनमें शैक्षणिक कैलेंडर का अनुपालन संतोषजनक न हो;
- जहां छात्र/शिक्षक उपस्थिति अत्यल्प हो;
- जिनका UP-PRAMAN स्कोर लगातार कम अथवा गिरावट पर हो;
- जिन विश्वविद्यालयों का KPI Dashboard पर प्रदर्शन लगातार Red/Amber Category में हो;
- जिन संस्थानों में पोर्टल/Dashboard की सूचना एवं वास्तविक स्थिति में अंतर पाया जाए;
- NAAC/NIRF/शोध/प्लेसमेंट आदि गुणवत्ता मानकों पर कमजोर प्रदर्शन वाले संस्थान; तथा
- शासन अथवा निदेशालय स्तर पर प्राप्त शिकायतों/प्रतिकूल सूचनाओं वाले संस्थान।

आकस्मिक निरीक्षण में कक्षाओं का वास्तविक संचालन, छात्र एवं शिक्षक उपस्थिति, टाइम-टेबल, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, डिजिटल संसाधन, परीक्षा संबंधी व्यवस्थाएं तथा UP-PRAMAN/KPI Dashboard पर उपलब्ध कराए गए अभिलेखों एवं आंकड़ों का मौके पर सत्यापन किया जाएगा।

(10) प्रत्येक निरीक्षण के उपरांत पायी गयी कमियों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को समयबद्ध सुधार हेतु निर्देशित किया जाए। गंभीर अथवा बार-बार पायी जाने वाली कमियों के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने हेतु प्रकरण तत्काल सचिव, उच्च शिक्षा के संज्ञान में लाया जाए। प्रत्येक महत्वपूर्ण कमी के संबंध में Action Taken Report (ATR) प्राप्त कर उसके वास्तविक अनुपालन का भी सत्यापन किया जाएगा।

(11) प्रत्येक जोनल नोडल अधिकारी अपने जोन की विश्वविद्यालयवार मासिक रिपोर्ट तैयार कर अगले माह के प्रथम सप्ताह में सचिव, उच्च शिक्षा को उपलब्ध कराएंगे, जिसे सचिव, उच्च शिक्षा के माध्यम से मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

मासिक रिपोर्ट में न्यूनतम निम्न सूचना सम्मिलित होगी :-

1. विश्वविद्यालय/महाविद्यालयवार शैक्षणिक कैलेंडर की अनुपालन स्थिति;
2. प्रवेश की स्थिति एवं रिक्त सीटें;
3. शिक्षण कार्य एवं पाठ्यक्रम पूर्णता की स्थिति;
4. छात्र एवं शिक्षक उपस्थिति;
5. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम की स्थिति;
6. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का UP-PRAMAN प्रदर्शन एवं गत माह की तुलना में परिवर्तन;
7. विश्वविद्यालयों के 26 KPI आधारित Dashboard Performance, विशेषकर शैक्षणिक गतिविधियों एवं Student Outcomes की स्थिति;
8. कमजोर प्रदर्शन वाले संस्थानों/विश्वविद्यालयों की सूची एवं कारण;
9. माह में किए गए क्षेत्र भ्रमण/आकस्मिक निरीक्षण;
10. निरीक्षण में पायी गयी प्रमुख कमियाँ;
11. जारी किए गए निर्देश एवं उनकी Action Taken Report;
12. NAAC/NIRF/IQAC/Research/Innovation/Internship/Placement आदि महत्वपूर्ण गुणवत्ता संकेतकों की स्थिति;
13. KPI में Red/Amber Category वाले बिंदुओं पर सुधारात्मक कार्यवाही की स्थिति: तथा
14. ऐसे प्रकरण जिनमें शासन स्तर से हस्तक्षेप/निर्णय अपेक्षित हो।

प्रत्येक मासिक रिपोर्ट में "पिछले माह की स्थिति - वर्तमान स्थिति - की गयी कार्यवाही - प्राप्त सुधार - अपेक्षित अगली कार्यवाही" स्पष्ट रूप से अंकित की जाएगी, ताकि विश्वविद्यालयों/संस्थानों में वास्तविक सुधार की प्रगति को मापा जा सके।

(12) जोनल नोडल अधिकारी अपने कार्य के निर्वहन में निदेशक, उच्च शिक्षा, संबंधित कुलसचिव, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों से आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे।

(13) जोनल नोडल अधिकारी ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों पर विशेष ध्यान देंगे जिनमें लगातार दो या अधिक समीक्षा अवधियों में अपेक्षित सुधार नहीं पाया जाता है अथवा जिनका UP-PRAMAN/KPI प्रदर्शन निरंतर कमजोर रहता है।

ऐसे संस्थानों/विश्वविद्यालयों के लिए संस्थानवार **Corrective Action Plan/Improvement Plan** तैयार कराया जाएगा तथा अगली समीक्षा में उसके परिणामों का परीक्षण किया जाएगा।

अत्यंत गंभीर अनियमितता, परीक्षा/प्रवेश संबंधी अव्यवस्था, शिक्षण कार्य का न होना, पोर्टल/Dashboard पर गलत सूचना अथवा अन्य गंभीर प्रशासनिक/शैक्षणिक कमी पाए जाने की स्थिति में जोनल नोडल अधिकारी मासिक रिपोर्ट की प्रतीक्षा किये बिना प्रकरण तत्काल सचिव, उच्च शिक्षा के संज्ञान में लाएंगे।

(14) सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा जोनल नोडल अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर प्रत्येक माह विभागीय समीक्षा की जाएगी। समीक्षा में विशेष रूप से निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा :-

- प्रदेश में शैक्षणिक कैलेंडर के अनुपालन की समग्र स्थिति;
- परीक्षा एवं परिणामों में विलम्ब;

- UP-PRAMAN पर उत्कृष्ट एवं कमजोर प्रदर्शन वाले संस्थान;
- विश्वविद्यालयों के 26 KPI आधारित प्रदर्शन एवं RAG Status;
- निरीक्षण में पायी गयी गंभीर कमियाँ;
- पिछले माह के निर्देशों पर Action Taken Report;
- संस्थानों में गुणवत्तापरक सुधार की वास्तविक प्रगति।

उक्त समीक्षा का संक्षिप्त प्रतिवेदन मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त दिये गये निर्देशों के क्रम में अग्रतर कार्यवाही करते हुए संबंधित कुलसचिव, प्राचार्य, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी तथा अन्य अधिकारी जोनल नोडल अधिकारी द्वारा मांगी गयी सूचना/अभिलेख समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराना तथा निरीक्षण/समीक्षा में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

Digitally signed by

RAM JANAM CHAUHAN (राम जन्म चौहान)

Date: 08-09-2026 17:11:24 उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त कुलपति, राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, मा० मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
5. श्रीमती निधि श्रीवास्तव, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
6. श्री बी.एन. सिंह, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
7. श्री सर्वेश कुमार सिंह, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
8. श्री शकील अहमद सिद्दीकी, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. अपर सचिव, 30प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ।
12. संबंधित अनुभाग/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम जन्म चौहान)

उप सचिव।